ORDER-SHEET

The Electricity Ombudsman, MPERC, 5th Floor, Metro Plaza, Bhopal

Case No. L00-41/2017

Date of order of proceeding	*Order of proceeding with Signature of presiding officer* **श्री कुंज काबरा, गाडरवारा, जिला– नरसिंहपुर म.प्र.**	*Signature of parties or pleaders where necessary*
02.02.2018	दिनांक 02.02.2018 को सुनवाई में आवेदक की ओर से श्री राजेश शर्मा उपस्थित हुए तथा अनावेदक की ओर से श्री प्रणय सक्सेना, अधिवक्ता एवं श्री ए.के. पटेल, जूनियर इंजीनियर, गाडरवाड़ा उपस्थित हुए। 2 दिनांक 18.01.2018 को आवेदक द्वारा अवगत कराया गया था कि उनका विद्युत कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्र में आता है अतः उन्हें ग्रामीण क्षेत्र के लिए लागू टैरिफ के आधार पर बिल किया जाना चाहिए। जबकि उन्हें शहरी क्षेत्र के लिए लागू टैरिफ के हिसाब से बिलिंग की जा रही है। इस संबंध में उनके द्वारा मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25 मार्च, 2006 की प्रति प्रस्तुत की गई। (एनेक्सर–1) 3 दिनांक 18.1.2018 को अनावेदक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री प्रणय सक्सेना द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदक का विद्युत कनेक्शन ग्राम जमाड़ा में स्थपित है जिसको कि शासन द्वारा अधिसूचना जारी कर नगर पालिका गाडरवाड़ा में शामिल कर लिया गया, परन्तु उनके द्वारा अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराने हेतु अगली तिथि देने का अनुरोध किया। अनावेदक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए निर्देशित किया गया कि वे सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 2.2.2018 को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें। 4 दिनांक 2.2.2018 को आवेदक की ओर से श्री राजेश शर्मा उपस्थित हुए तथा अनावेदक की ओर से श्री प्रणय सक्सेना, अधिवक्ता एवं श्री ए.के. पटेल, जूनियर इंजीनियर, गाडरवाड़ा उपस्थित हुए। 5 सुनवाई के प्रारंभ में अनावेदक द्वारा मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 198 दिनांक 16 मई, 2014 प्रस्तुत की गई, जिसके अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि ग्राम जमाड़ा को नगर पालिका गाडरवाड़ा में शामिल कर लिया गया है। (एनेक्सर–2) 6 अनावेदक द्वारा यह भी बताया गया कि आवेदक को विद्युत कनेक्शन जनवरी 2015 में दिया था।	

	7 उपरोक्त दस्तावेजों के अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि ग्राम जमाड़ा को गाडरवाड़ा नगर पालिका में शामिल करने की अधिसूचना दिनांक 16 मई 2014 के बाद विद्युत कनेक्शन आवेदक को दिया गया। अतः उन पर शहरी क्षेत्र हेतु लागू टैरिफ के अनुसार बिलिंग की जाना उचित है। अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आवेदक का अपील अभ्यावेदक खारिज कर प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है। 8 उभय पक्षों को सूचना जारी कर फोरम के अभिलेख वापिस हों। **विद्युत लोकपाल**	